

नाथालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला-उदयपुर
वीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस.

संख्या 89/2021 वाद

1. श्री मोडा पिता हीरा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री धूला पिता हीरा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्रीमती केशू पत्नी लखमा डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

वादीगण

वनाम


1. पेमा पिता हीरा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री उदयलाल पिता देवा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्री नाथूलाल पिता देवा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्री मानाराम पिता देवा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. श्रीमती नाथीवाई पुत्री देवा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. श्रीमती नंगीवाई पत्नी देवा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
7. श्री बाला पिता रूपा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
8. श्रीमती हीरी पत्नी पुंजा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
9. श्रीमती मोती पुत्री पुंजा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
10. श्रीमती भंवरी पुत्री पुंजा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
11. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री पुंजा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
12. श्री शंकर पुत्र भेरा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
13. श्री भंवर पुत्र भेरा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कलोडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री भीमराज पटेल अधिवक्ता वादी, उपरिथत




उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद दिनांक 31.01.2024 को न्यायालय काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अतिरिक्त धारा 53, 188 के अन्तर्गत धारा 53, 188 से 615, 626, 652 कुल कित्ता 30 एकड़ 2.2050 हेक्टेयर में वादी संख्या-1 का 1/8 हिस्सा वादी संख्या-2 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या-3 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-1 पेगा का 1/8 हिस्सा, इसी तरह प्रतिवादी संख्या-2 से लगाय 6 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा, इसी तरह प्रतिवादी संख्या-8 से 11 का संयुक्त रूप से 1/12वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का (1/24+1/36) हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 13 का (1/24+1/36) हिस्सा निहित है। श्रीमती फूली पत्नी भेरा जी की मृत्यु हो चुकी है मृतक फूली का 1/36 वां हिस्सा उनके पुत्र शंकर व भंवर में न्याय गमन हो चुका है, इस प्रकार उक्त हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में काश्त एवं उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है जिसका मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा अभी तक नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य काश्त को लेकर वाद विवाद एवं झगडा-फसाद होता रहता है तथा भूमि का अपने अपने हिस्से अनुसार ही रूप से उपयोग-उपभोग नहीं कर पाते हैं, व भूमि का सही डवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से कानूनी बंटवाडा कराना चाहते हैं। वादकारण दिनांक 20.06.2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने सहमति से बंटवाडा कराने से इन्कार कर दिया व कानूनी कार्यवाही का बंटवाडा कराने को कहा जिससे वादकारण जारी है।

अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडे की डिक्री पारित फरमाई जावे व तदनुसार वादीगण का हिस्सा पृथक किा जाकर मौके पर अलग से नक्शे में पैमूद किया जावे।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2022 को वादी का वाद प्रारंभिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार कुराबड को मौका कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारों के मध्य उभयपक्ष की उपस्थिति में बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार कुराबड द्वारा पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र



उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर


प्रतिवादी प्रस्तुत की गई। जिरा पर वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई एवं जिरा पर वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई एवं जिरा पर वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई। जिरा पर वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई एवं जिरा पर वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई। जिरा पर वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई एवं जिरा पर वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई।

आ.स.	रकबा	किरम	लगान
613 / 1	0.2200	बीड द्वि.	0.38
612 / 1	0.1000	प.त.	0.10
1044	0.1850	बीड द्वि	0.21
1048	0.0850	बीड द्वि	0.10
1047	0.0250	बीड द्वि	0.03
614 / 1	0.1850	बीड द्वि	0.23
किता 6	रकबा 0.8000		लगान 1.05

2-पेमा पिता हीरा डांगी 1/4 हि. हीरी पत्नि स्व. पूजा भमरी मोती लक्ष्मी पिता पूजा 1/8 हि. व. शंकर भंवर पिता भेरा 1/8 हि.व. शंकर भंवर पिता भेरा मु. फुली बेवा भेरा 1/8 हि. व. उदयलाल नाथूलाल मानाराम नाथीबाई पिता देवा नंगीबाई बेवा देवा 3/16 हि.व. वाला पिता रूपा 3/16 हि. डांगी सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किरम	लगान
613गी.	0.1000	बीड द्वि	—
613 / 2	0.0050	बीड द्वि	—
612 / 2	0.0700	पडत तृतीय	—
614 / 2	0.0100	बीड द्वि	—
1045	0.1400	बीड द्वि	0.16
1046	0.0200	बीड द्वि	0.02
1049	0.0750	बीड द्वि	0.09
1050	0.0300	बीड द्वि	0.03
1051	0.0400	बीड द्वि	0.05
1052	0.0800	बीड द्वि	0.09
1053	0.0500	बीड द्वि	0.06
1054	0.0100	बीड द्वि	0.01
1055	0.0050	बीड द्वि	0.01
1056	0.0350	बीड द्वि	0.04
1057	0.0500	बीड द्वि	0.06
1058	0.0100	बीड द्वि	0.01
1059	0.0400	बीड द्वि	0.05
1060	0.0200	बीड द्वि	0.02
1061	0.0550	बीड द्वि	0.06
607	0.0450	पडत तृ.	0.03




 उपखण्ड अधिकारी
 गिरवा, उदयपुर


किता	25	रकबा	1.3350	वीड हि	0.1100	वीड हि	0.13	वीड हि	0.05	पड़त तृतीय	0.10	पड़त तृतीय	0.11	लगान	1.19
	608														
	609														
	610														
	611														
	615														

3 गोडा धुला पेमा पिता हिरा 3/8 हि.व. केशुवाई पतिग स्व. लखमा 1/8 हीरी पतिग स्व. पूजा भमरी गोती लक्ष्मी पिता पूजा 1/12 हि.व. शंकर भंवर पिता भेरा 1/12 हि.व. शंकर भंवर पिता भेरा गु. फुली वेवा भेरा 1/12 हि.व. उदयलाल नाथुलाल मानाराम नाथीवाई पिता देवा नंगीवाई वेवा देवा 1/8 हि. व. वाला पिता रुपा 1/8 डांगी सा. देह खातेदार -

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
231 कुवा	0.0200	आ.चा.	-
626 शीया	0.0300	आ.चा.	-
652	0.0200	आ.चा. कुआ	-
किता 3	रकबा 0.0700	लगान	-

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी को राजस्व ग्राम कलोडिया पटवार हल्का सोमाखेडा के आराजी संख्या 1044 से 1061, 213, 607 से 615, 626, 652 कुल किता 30 रकबा 2.2050 हैक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। तहसीलदार कुराबड तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सारेइजलारा सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


 (रिया डाबी)
 आई.ए.एस.
 उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
 निवा. उदयपुर
 गिर्वा, उदयपुर